एडीजी-अपराध-परिपत्र संख्या-01 /2021

डा0के0एस0प्रताप कुमार
आई0पी0एस0

अपर पुलिस महानिदेशक,
(अपराध)
उत्तर प्रदेश
पुलिस भवन, लखनऊ।
दिनांकःसितम्बर 23, 2021

विषयः- सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत विवेचनात्मक प्रक्रिया हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटित अनुदान की उपयोगिता के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

कृपया पूर्व की भाँति संज्ञेय अपराधों की विवेचना में गतिशीलता एवं गुणवत्ता लाये जाने एवं विवचेनाओं के त्वरित अनावरण/निस्तारण किये जाने के उद्देश्य से वर्तमान में प्रभावी कार्यप्रणाली को और अधिक क्रियाशील/संवेदनशील बनाये जाने हेतु आवंटित अनुदान के समुचित सदुपयोग के संबंध में वित्त नियन्त्रक,उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय लखनऊ एवं तकनीकी सेवायें मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पूर्व में धनराशि आवंटित करते हुये व्यय किये जाने के संवंध में आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है।

2- उल्लेखनीय है कि पुलिस मुख्यालय के वित्त नियन्त्रक के आवॅटन आदेश संख्याः005 -टीएस-2021 दिनॉक 02.06.21(प्रति संलग्न) एवं तकनीकी सेवायें मुख्यालय के पत्र संख्याः टीएस-सीसीटीएनएस-99-2018(5) दिनॉक 04.06.2021(प्रति संलग्न) के माध्यम से लेखाशीर्षक-2055-पुलिस आयोजनेत्तर-109-जिला पुलिस-07-जिला व्यय(थाना)मानक मद-42 अन्य व्यय के अर्न्तगत प्राप्त अनुदान रू0 9,95,50,000/-(नौ करोड़ पन्चानवे लाख,पचास हजार मात्र) का आवॅटन जनपदवार पंजीकृत प्रति एफ0आई0आर0 रू0 163/- की दर से आवॅटन करते हुये विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है।

3- निदेशानुसार आवॅटित अनुदान का अपने अधीनस्थ थानो पर पंजीकृत अभियोगों के आधार पर विवेचनाधिकारियों को अवगत कराते हुये विभागीय/शासकीय नियमों के अधीन धनराशि का समुचित सदुपयोग कराना सुनिश्चित करें ।

4- उपरोक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन कराया जाय ।

भवदीय,
23/9/21
(डा0के0एस0प्रताप कुमार)

1-पुलिस आयुक्त,
<u>लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर/वाराणसी।</u>
2-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
<u>प्रभारी जनपद/रेलवेज,उत्तर प्रदेश।</u>

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

(Crime)

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-6
संख्या- 1096 / छ:-पु-6-2021-1176/ 2002
लखनऊ: दिनांक 21 सितम्बर, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

पुलिस रेगुलेशन के पैरा 464 (क) में निहित प्राविधानों तथा शासनादेश संख्या-539पी/छ:-पु-6-17-1176/ 2002 दिनांक 16 सितम्बर, 2017 में प्रदत्त् व्यवस्था के तहत पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-डीजी-सात-एस-5 (04)/2020 दिनांक 11-09-2021 द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत अभियुक्तगण 1. सभापति यादव 2. सुभाष यादव पुत्रगण राजेन्द्र प्रसाद यादव निवासीगण ग्राम विनैका, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ की अपराधिक गतिविधियों में बढ रही संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए इनको गिरफ्तार कराने तथा दण्डित कराने के लिए सूचना देने पर पुरस्कार की धनराशि रूपये प्रति अभियुक्त पर रूपये 2.5-2.5 लाख से बढाकर प्रति अभियुक्त पर रू0 05-05 लाख (कुल धनराशि रूपये दस लाख) घोषित किये जाने की श्रीराज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

नाम, पता अभियुक्त- अभियुक्त सभापति यादव पुत्र राजेन्द्र प्रसाद यादव निवासी ग्राम विनैका, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ

घोषित पुरस्कार- रूपये 5,00,000/- (रूपये पांच लाख)

अभियोग का विवरण, जिसमें अभियुक्त वांछित/ फरार चल रहा है:-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	194/2020	147/148/149/307/352/452/286/427/504/506/188/ 269 भादवि व 51 आ0प्र0अधि0	पट्टी	प्रतापगढ
2	195/2020	147/188/266/190/149/307/332/353/504/506/341 भादवि व 51 आ0प्र0अधि0 व महामारी अध्यादेश की धारा 22(1),(2),(3) व 3/25/27 /29/30ए एक्ट व 7 सीएलए एक्ट	पट्टी	प्रतापगढ
3	265/2020	147/153/504/505/506/507/188/269 भादवि व 66 आई0टी0 एक्ट व 51 आ0प्र0अधि0	आसपुर देवसरा	प्रतापगढ
4	107/2020	153ए/504/506/188/269/270 भादवि व 66 आई0टी0 एक्ट व 51 आ०प्र०अधि०	आसपुर देवसरा	प्रतापगढ
5	109/2020	188/269/207 भादवि व 51 आ0प्र0अधि0	आसपुर देवसरा	प्रतापगढ
6	214/2020	188/269/207 भादवि व 51 आ0प्र0अधि0	आसपुर देवसरा	प्रतापगढ
7	122/2020	188/269/207 भादवि व 51 आ0प्र0अधि0	आसपुर देवसरा	प्रतापगढ
8	220/2020	505/503/504/500/501/153ए/295 भादवि व 66 आई0टी0 एक्ट	आसपुर देवसरा	प्रतापगढ
9	16/2021	174ए भादवि	आसपुर देवसरा	प्रतापगढ
10	347/2020	174ए भादवि	पट्टी	प्रतापगढ

(अपराध)
लखनऊ

नाम, पता अभियुक्त- सुभाष यादव पुत्र राजेन्द्र प्रसाद यादव निवासीगण ग्राम विनैका, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ

घोषित पुरस्कार- रूपये 5,00,000/- (रूपये पांच लाख)

अभियोग का विवरण, जिसमें अभियुक्त वांछित/ फरार चल रहा है:-

क्र०स	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	194/2020	147/148/149/307/352/452/286/427/504/506/188/ 269 भादवि व 51 आ0प्र0अधि0	पट्टी	प्रतापगढ
2	195/2020	147/188/266/190/149/307/332/353/504/506/341 भादवि व 51 आ0प्र0अधि0 व महामारी अध्यादेश की धारा 22(1),(2),(3) व 3/25/27/ 29/30ए	पट्टी	प्रतापगढ

		एक्ट व 7 सीएलए एक्ट		
3	265/2020	147/153/504/505/506/507/188/269 भादवि व 66 आई0टी0 एक्ट व 51 आ0प्र0अधि0	आसपुर देवसरा	प्रतापगढ़
4	36/2021	174ए भादवि	आसपुर देवसरा	प्रतापगढ़
5	347/2020	174ए भादवि	पट्टी	प्रतापगढ़

2- उक्त पुरस्कार पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा स्वयं संतुष्ट होने पर संगत बजट प्राविधान के अन्तर्गत प्रदान किया जायेगा।

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 1096 (1) /छः-पु-6-202- 1176/ 2002, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को उनके पत्र संख्या-डीजी-सात-एस-5 (04)/2020 दिनांक 11-09-2021 के संदर्भ में।
2. कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था/ अपराध/ सुरक्षा/ प्रशासन/ कार्मिक/ ए0टी0एस0/ पी0ए0सी0/ रेलवेज, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक/ वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
5. **अपर पुलिस महानिदेशक (जोन)- प्रयागराज जोन।**
6. **पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र, प्रयागराज।**
7. पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0, लखनऊ।
8. **जिलाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक- प्रतापगढ।**
9. पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो/ कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ।
10. वित्त-ई-12, उ0प्र0शासन।

आज्ञा से,

(महेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।